

भारत के राज्यक्रम के भाग ।। संगठ ३४।।८ में प्रबन्धनार्थ
 भारत सरकार
 वित्त मंत्रालय
 राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक २/८/१५

अधिकृतना

|आवश्यक|

दावबाटी

आवश्यक विधिनियम, १९६१।।१९६१ वा ४३] की धारा १० के अंडा २३-ग] के उपकाठा १।। इसका प्रदत्त शास्त्रियों का प्रयोग लगते हुए केन्द्रीय सरकार एवं राजा "गांधी ग्राम ट्रस्ट, गांधीग्राम" को डर-निधारण वर्ष १९९२-९३ से १९९४-९५ तक के लिए विनियोगित शास्त्रों के ज्ञान रहते हुए उक्त उपर्युक्त के प्रयोगनार्थ अधिकृत लगती है, क्योंकि:-

- १।। डर-निधारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय ता इस्तेमाल करने के लिए उसका संघरण पूर्णतयातथा अन्यतया उन उद्देशयों के लिए करेगा, जिन्हे लिए इसकी स्थापना की गई है;
- २।।८ डर-निधारिती कुप्र-उल्लिखित डर-निधारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की चिह्नी श्री गांधी के दौरान धारा ।। की उपचारा ।।५] गे विनियोगित किसी एक जगता एवं संघर्ष द्वारा अधिक तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ज्ञान-ज्ञानितात, ज्ञानित वादि ते स्पष्ट वे प्राप्त तथा उपराव मै स्वीकृत बोधान से जिन्हे लो निवेद नहीं देंगा वज्रा उसे जगा नहीं करता स्वेच्छा।।
- ३।।९ यह अधिकृतना चिह्नी ऐसी आय के भूम्भ में जागू नहीं होगी, जो कि डारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभियाभ के स्पष्ट में हो जब तक कि ऐसा डारोबार एवं डर-निधारिती के उद्देशयों की प्राप्ति के लिए प्राप्तिग्राह नहीं हो तथा ऐसे डारोबार के संभव में जगा से नेहा-प्रस्तुताएँ नहीं रखी जाती हों।।

समर्भ

|समर्भ अद्य|

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिकृतना सं ।।०८।।७ |फारम ।।१९७/१०/१८-वाप्ति नि०-।।|
 सेवा मे,

प्रबंधन, भारत सरकार प्रेस,
 रिंग रोड, गायापुरी बौद्धोभिन्न देव,
 द्वाराजौरी गार्डन के सभीपर्स, नई दिल्ली ।।

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NEW DELHI: THE 7th Oct., 1998

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

S.O.No. In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies .

"Gandhigram Trust", Gandhigram
for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely:-

- (i) The assessee will apply its income, or accumulate or for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

Shahri
(SAMAR BHANDRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. 10717

(F.No. 197/50/98-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.